BABA MASTNATH UNIVERSITY

UNIQUE BLEND OF ACADEMICS AND SPIRITUALITY | www.bmu.ac.in
(RECOGNISED BY UGC) ROHTAK, DELHI -NCR

Internal Quality Assurance Cell

EVENT APPROVAL FORM

Academic Session: 2024-25

Proposed Event:	Legal Awareness Camp at Village Garhi Bohar, Rohtak		
Faculty/Cell Name:	Law		
Department/Committee Name:	Legal Aid Club		
Topic:	Fundamental Rights under Constitution of India		
Duration: (in days)	One Day	**Proposed Mode (Online or Offline) Date & Time:**	Offline 24/05/2025, 10:00 am
Proposed Fee (Rs.) (if any)	None Amount in figure and words		
Speaker's Profile :	Dr. Parmila, Assistant Professor Dr. Harvinder Barak, Assistant Professor		
Conveners:	Dr. Parmila, Assistant Professor		
Co-Convener/ Organizing Secretary (if any):	Dr. Harvinder Barak, Assistant Professor		

Convener/Secretary
(Signature with Full Name)

Dean/Chairperson/HoD/Incharge
(Signature with Full Name)

Dean Academic Affairs

Registrar 23/5/25

Approved
Vice-Chancellor 23.5.2025

Final Approval Status: 1. Approved 2. Not Approved 3. Reversed for Corrections

www.bmu.ac.in

BABA MASTNATH UNIVERSITY

Asthal Bohar – Rohtak, Haryana – 124021(India)

FACULTY OF LAW

Ref. No. BMU/LAW/2025/ 6623

Dated: 23/5/2025

Notice

The Legal Aid Club of Department is organizing Legal Awareness Camp at Village Garhi Bohar, Rohtak on 24/05/2025 from 10:00 am onwards. All students are directed to attend.

Dr. Ritu
Head
Department of Law

Dr.Manish Dalal
Dean
Department of Law

Letter of Recognition

On behalf of the residents of Village Garhi Bohar, Ward 10, Municipal Corporation, Rohtak, we would like to recognize valuable efforts of Legal Aid Club, Department of Law, Baba Mastnath University, Rohtak in organizing the Legal Awareness Camp on the topic "Fundamental Rights under Constitution of India" on 24/05/2025 in our village.

Your initiative to bring constitutional & legal awareness and support to our community is highly commendable. The camp provided much-needed guidance and assistance to villagers regarding their constitutional and legal rights and available remedies, especially to those who usually lack access to such services.

We are grateful for your commitment and dedication towards social welfare and justice. Your efforts have made a meaningful impact in empowering our villagers with knowledge and confidence to address legal issues.

We extend our heartfelt gratitude and hope to see such efforts in the future as well. Please consider this letter as a token of recognition for your service to our community.

Manisha

मनीषा
निगम पार्षद
वार्ड नं. 10, रोहतक

Karamvir
Jitender

Baba Mastnath University
Faculty of Law

Name of Event: Legal Awareness Camp on "Fundamental Rights under Constitution of India"
Place: Village Garhi Bohar, Rohtak, Haryana
Date: 24/05/2025

Time: 10:00 am

Attendance Sheet

S. No.	Name	Class/Designation/Occupation	Signature
1	Sangeet	Khap Leader	[signature]
2	Poornima Sharma	5.4	[signature]
3	Payal	5.2	Payal
4	Bhawana	5.8	Bhawana
5	Priyanka	3.4	Priyanka
6	Gunjan	5.8	Gunjan
7	Bhavya	5.8	Bhavya
8	Tannu	3.1	Tannu
9	Vaishnavi	3.2	Vaishnavi
10	Harsh Saini	5.6	Harsh
11	Sunil Nirwal	Advocate (Garhi Bohar)	Sunil
12	Chesta	5.6	Chesta
13	Shubham	5.8	Shubham
14	Yashu	3.2	Yashu
15	Kanhiya	5.8	Nishant
16	Nishant	5.8	Kanhiya
17	Ravi Kundu	5.8	Ravi
18	SHARVAN	5.4	Sharvan
19	Anish	5.2	Anish
20	Natik	5.2	Natik
21	Harsh	5.2	Harsh
22	धर्मपाल	गाडी ड्राइवर	
23	रजनी	House wife	
24	रामदास	Agriculture	
25	Ritu	House wife	
26	सुनीता	House wife	
27	नरेश	Pvt. Job	
28	Manjeet	Business	
29	Sanjeev	Agriculture	
30	शकुंतला	House wife	
31	Rahul	Business	
32	विनोद	Agriculture	
33	Dr. Seema Devi	Associate Professor	Seema
34	Dr. Parmila	Assistant Prof.	[signature]
35	Dr Harvinder	Assistant Professor	Harvinder

[signature]
Incharge

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Mastnath University
sthal Bohar, Rohtak
Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
stnath University
Bohar, Rohtak
Website: www.bmu.ac.in

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in
URBAN

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in

Legal Awareness Camp
Organised by:
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath Universit
Asthal Bohar, Rohtak

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616| Email: fol@bmu.ac.in| Website: www.bmu.ac.in

egal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
aba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
b. 9053066616|Email: fol@bmu.ac.in|Website: www.bmu.ac.in

Legal Awareness Camp
Organized by:
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath Universit
Asthal Bohar, Rohtak

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
GPS Map Camera
Google
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880543° Long 76.647078°
24/05/2025 11:14 AM GMT +05:30

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
10058, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880679° Long 76.647198°
24/05/2025 11:22 AM GMT +05:30
Google

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
10058, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880679° Long 76.647198°
24/05/2025 11:22 AM GMT +05:30
Google

egal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
aba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880543° Long 76.647077°
24/05/2025 11:14 AM GMT +05:30
Google

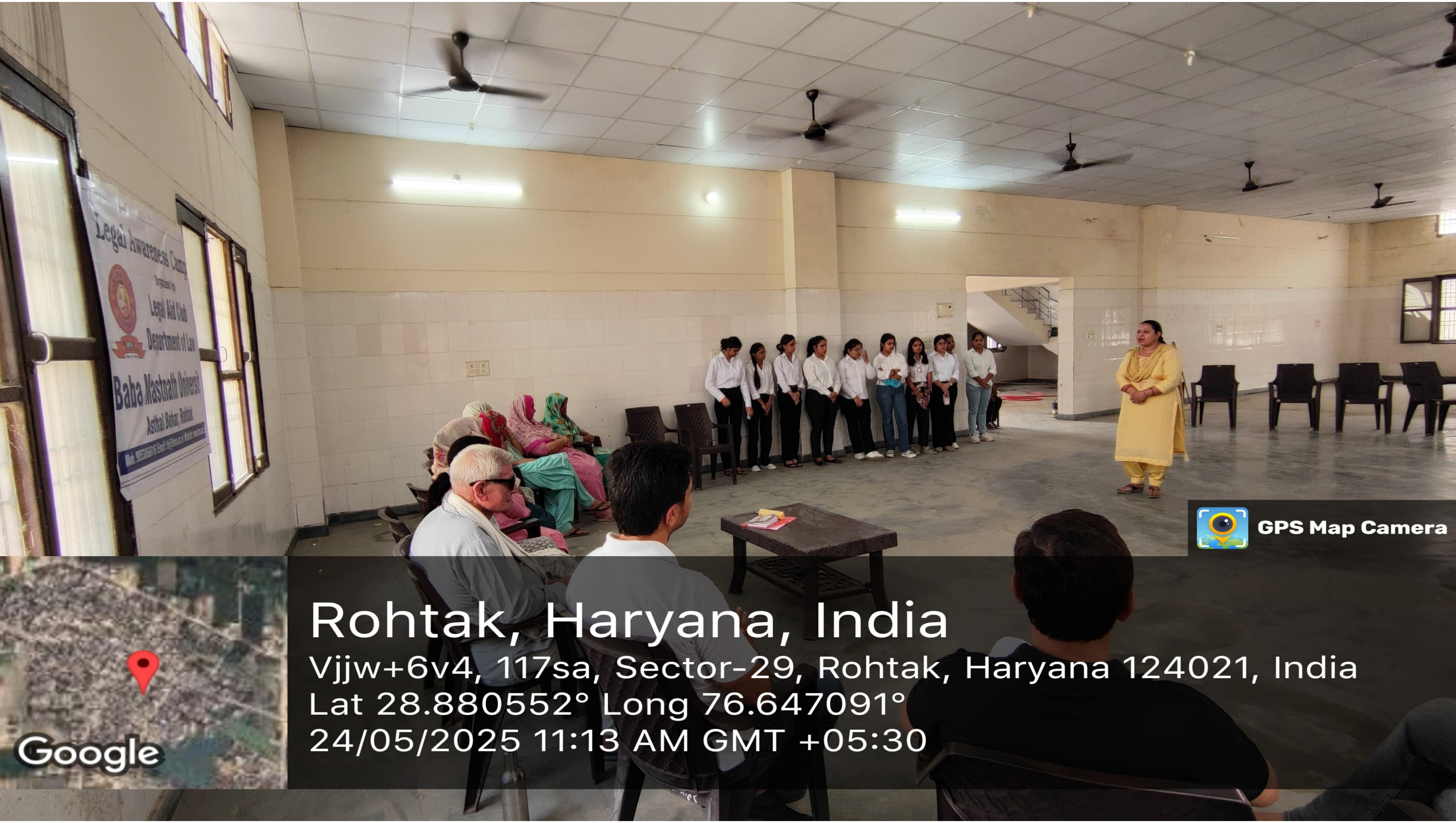
Legal Awareness Camp
Organised by
Legal Aid Club
Department of Law
Asthal Bohar, Rohtak
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880552° Long 76.647091°
24/05/2025 11:13 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880551° Long 76.647103°
24/05/2025 11:13 AM GMT +05:30
Google

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880555° Long 76.64712°
24/05/2025 11:13 AM GMT +05:30
Google

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
62r, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.88046° Long 76.647056°
24/05/2025 11:00 AM GMT +05:30
Google

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
Mob. 9053066616 | Email: fol@bmu.ac.in | Website: www.bmu.ac.in
GPS Map Camera
Google
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880493° Long 76.647084°
24/05/2025 11:12 AM GMT +05:30

Legal Awareness Camp
Organized by:-
Legal Aid Club
Department of Law
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak
GPS Map Camera
Rohtak, Haryana, India
Vjjw+6v4, 117sa, Sector-29, Rohtak, Haryana 124021, India
Lat 28.880539° Long 76.647129°
24/05/2025 11:01 AM GMT +05:30
Google

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी

ऋषि की आवाज ब्यूरो रोहतक। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)एच.एल. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एच.एल. वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने

विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है।

शिविर के संचालन में डॉ. प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय संविधान के भाग- III (अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार निहित हैं, वे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं और यह राज्य की मनमानी के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। उन्होंने महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।

विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष दलाल ने कहा कि ÷ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं।

बाबा मस्तनाथ विवि के विधि संकाय द्वारा गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

रोहतक। चेतना संवाददाता।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)एच.एल. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एच.एल. वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है। शिविर के संचालन में डॉ.

प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय संविधान के भाग- ।।। (अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार निहित हैं, वे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं और यह राज्य की मनमानी के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. सीमा देवी, भव्या, शुभम और हर्ष जैसे प्रतिभागियों ने भी ग्रामीणों को सरल भाषा में कानून की धाराओं, अधिकारों और विधिक प्रक्रिया से अवगत करा महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधानों प डाला। विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष दलाल ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रस की और संकाय के शिक्षकों व छात्रों को इस सामाजिक उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन हेतु बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं। इस अवसर पर डॉ. राजरानी, डॉ. नेहा, डॉ. राहुल, डॉ. सोनिया, डॉ. विनती एवं आकाशदीप भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

वॉइसऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ : रोहतक

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)एच.एल. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एच.एल. वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है।

शिविर के संचालन में डॉ. प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय संविधान के भाग-।।। (अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार निहित हैं, वे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं और यह राज्य की मनमानी के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. सीमा देवी, भव्या, शुभम और हर्ष जैसे प्रतिभागियों ने भी ग्रामीणों को सरल भाषा में कानून की धाराओं, अधिकारों और विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।

विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष दलाल ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्न

की और संकाय के शिक्षकों व छात्रों को इस सामाजिक उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन हेतु बधाई दी। उन्होंने कहा कि "ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं।" इस अवसर पर डॉ. राजरानी, डॉ. नेहा, डॉ. राहुल, डॉ. सोनिया, डॉ. विनती एवं आकाशदीप भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी

विधिक जागरूकता शिविर में विवि के विधि संकाय के छात्र-छात्रा और शिक्षक।

सवेरा न्यूज/संजीव कौशिक

रोहतक, 25 मई : बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)एच.एल. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एच.एल. वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है। शिविर के संचालन में डॉ. प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके

- **विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा : विनोद कुमार/एच.एल. वर्मा**

अतिरिक्त, डॉ. सीमा देवी, भव्या, शुभम और हर्ष जैसे प्रतिभागियों ने भी ग्रामीणों को सरल भाषा में कानून की धाराओं, अधिकारों और विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।

विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष दलाल ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और संकाय के शिक्षकों व छात्रों को इस सामाजिक उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन हेतु बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं। इस अवसर पर डॉ. राजरानी, डॉ. नेहा, डॉ. राहुल, डॉ. सोनिया, डॉ. विनती एवं आकाशदीप भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

ग्रामीणों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी

रोहतक(एचकेए ब्यूरो)। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)एच.एल. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एच.एल. वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है। शिविर के संचालन में डॉ. प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार निहित हैं, वे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं और यह राज्य की मनमानी के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. सीमा देवी, भव्या, शुभम और हर्ष जैसे प्रतिभागियों ने भी ग्रामीणों को सरल भाषा में कानून की धाराओं, अधिकारों और विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला। विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष दलाल ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और संकाय के शिक्षकों व छात्रों को इस सामाजिक उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन हेतु बधाई दी। उन्होंने कहा कि ÷ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं।÷ इस अवसर पर डॉ. राजरानी, डॉ. नेहा, डॉ. राहुल, डॉ. सोनिया, डॉ. विनती एवं आकाशदीप भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

विधिक जागरूकता शिविर में छात्र-छात्रा और शिक्षक।

आज समाज नेटवर्क

रोहतक। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)एच.एल. वर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एच.एल. वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है। शिविर के संचालन में डॉ. प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार निहित हैं, वे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं और यह राज्य की मनमानी के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. सीमा देवी, भव्या, शुभम और हर्ष जैसे प्रतिभागियों ने भी ग्रामीणों को सरल भाषा में कानून की धाराओं, अधिकारों और विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया।

उन्होंने महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला। विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष दलाल ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और संकाय के शिक्षकों व छात्रों को इस सामाजिक उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन हेतु बधाई दी। उन्होंने कहा कि "ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं।" इस अवसर पर डॉ. राजरानी, डॉ. नेहा, डॉ. राहुल, डॉ. सोनिया, डॉ. विनती एवं आकाशदीप भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

ग्रामीणों को मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रविधानों की दी जानकारी

जागरण संवाददाता • रोहतक : बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डा. एचएल वर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना रहा। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई।

कुलपति प्रो. डा. एचएल वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. डा. विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। शिविर के संचालन में डा. प्रमिला और डा. हरविंदर सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विधिक जागरूकता शिविर में बीएमयू छात्र–छात्रा और शिक्षक • सौजन्य- विश्वविद्यालय

ग्रामीणों को मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रविधानों की दी जानकारी

जागरण संवाददाता • रोहतक : बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधिक सहायता क्लब द्वारा गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डा. एचएल वर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना रहा। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई।

कुलपति प्रो. डा. एचएल वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. डा. विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। शिविर के संचालन में डा. प्रमिला और डा. हरविंदर सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विधिक जागरूकता शिविर में बीएमयू छात्र-छात्रा और शिक्षक • सौजन्य- विश्वविद्यालय